



Neutral Citation No. - 2026:AHC:160694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7777

सन् 2026

निशा और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अभिषेक द्विवेदी, सुनील कुमार द्विवेदी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 62 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 108 बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट छह महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बारे में सूचनाकर्ता ने कोई ठोस वजह नहीं बताई है। आवेदकगण के खिलाफ ऐसा कोई आरोप या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि उन्होंने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया या दुष्प्रेरित किया हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराई गई थी। साथ ही, यह भी बताया गया है कि सह-अभियुक्त संतोष को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2026 के आदेश के माध्यम से आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4536 सन् 2026 में पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदकगण की गिरफ्तारी से परिवार को ऐसी परेशानी होगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मृतका मानसिक तनाव में थी और आवेदकगण द्वारा बिना किसी उकसावे या दुष्प्रेरणा के अवसाद के कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकरण में विधि के अंतर्गत दुष्प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व वर्तमान मामले में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। यह भी कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वादा करते हैं और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय के बुलाने पर पेश होंगे। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदकगण को अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वे जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और



गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा यह पुनः अभिनिर्धारित किया गया है कि आईपीसी की धारा 306 / बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध साबित करने के लिए, अभियुक्त की ओर से आईपीसी की धारा 107 / बीएनएस की धारा 45 में बताए अनुसार विशिष्ट दुष्प्रेरण होना ज़रूरी है, और उस दुष्प्रेरण का मकसद संबंधित व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करना होना चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उसे उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने का अभियुक्त का आशय, धारा 306 भा.दं.सं. / धारा 108 बी.एन.एस. को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है [देखिए मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2010) 8 एससीसी 628]। इसके अलावा, कथित उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित के पास अपनी जान देने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरणों में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है [देखिए अमलेंदु पाल उर्फ इंदू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707 और एम. मोहन



बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626 और रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618]।

10. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेन्द्र अवसे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनसी 76** प्रकरण में इन सिद्धांतों को फिर से दोहराया है।

11. आवेदकगण का प्रकरण पूरी तरह से ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में आता है।

12. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह माना जाता है कि अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

13. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) अगर इस प्रकरण में शामिल आवेदकगण - **निशा और सचिन** - को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें देनी होंगी।

(ii) आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेंगे और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iii) आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

(iv) आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

14. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

3 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।